फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

वरद बनाम राजमल

धारा 111-125 वाद / प्रा0प0 / अपील 4/18 प्र0सं0 / ~~15~~

18 बाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रक्रियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 21.2.18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

21.2.18

पत्रावली पेश उपखण्ड
अधिकारी/पीठासीन अधिकारी जी
अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली
25.5.18 को पेश हो।

आदेश से रीडर

7.6.18

पत्रावली कोर्ट कैम्प चोपली पर पेश
पैरवी अलग से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया।
पत्रावली पैरवी शुमार होकर
नम्बर से नाम है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला–भीलवाडा
न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प पीपली

पीठसीन अधिकारीः–रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)
मुकदमा संख्याः– 04/18

1. बरदू पुत्र श्री धन्ना जाट जाति जाट निवासी– दलेल सिंह का खेडा
2. कालू पुत्र श्री धन्ना जाट जाति जाट निवासी– दलेल सिंह का खेडा

––प्रार्थीगण

बनाम

1. तेजमल पुत्र श्री पोखर ओड़ निवासी– ओडो का खेडा
2. अम्बालाल पुत्र श्री पोखर ओड़ निवासी– ओडो का खेडा
3. देवा पुत्र श्री जोधा बलाई निवासी– पीपली
4. लादू पुत्र श्री जोधा बलाई निवासी– पीपली
5. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी श्री गोपी जाट निवासी– बासा का खेड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ

––विपक्षीगण

––––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय :: दिनांकः– 07/06/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प पीपली पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1349/1, 1352/1273 कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थता पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08/01/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिंध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली की नम्बर 1349/1, 1352/1273 कुल किता 2 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मंगरोप को 500/–रू0 (अक्षरे– पांच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिलिपिः– तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ